प्रेषक,

उमाशंकर सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तर प्रदेश जल निगम,
लखनऊ ।

नगर विकास अनुभाग- 5 लखनऊ दिनांक 01 जून, 2015

विषय: राज्य सेक्टर के अन्तर्गत जनपद फैजाबाद के अयोध्या नगर जलोत्सारण योजना के अन्तर्गत 12 एम0एल0डी0 सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के निर्माण हेतु पुनरीक्षित लागत की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (नागर), उ0प्र0 जल निगम लखनऊ के पत्र संख्या-252/नागर-2/033-0304/14, दिनांक 24.09.2014 तथा शासनादेश सं0-7183/नौ-5-2010-121बजट/2010, दिनांक 21.02.2011, शासनादेश सं0-870/नौ-5-2013-121बजट/2010, दिनांक 27.02.2013, शासनादेश सं0-2784/नौ-5-2013-121बजट/2010, दिनांक 07.06.2013, एवं शासनादेश सं0-1040/नौ-5-2014-121बजट/2010, दिनांक 16.09.2014 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सेक्टर के अन्तर्गत जनपद फैजाबाद के अयोध्या नगर जलोत्सारण योजना के अन्तर्गत 12 एम0एल0डी0 सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के निर्माण की पुनरीक्षित लागत रू0 1798.43 लाख में से अवशेष धनराशि पाँचवीं एवं अन्तिम किश्त के रूप में रू0 90.85 लाख को अवमुक्त किये जाने पर श्री राज्यपाल एतदद्वारा निम्नलिखित शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

(1) संदर्भित् कार्यो के संबंध में शासनादेश संख्या शासनादेश सं0-7183/नौ-5-2010-121बजट/2010, दिनांक 21.02.2011, शासनादेश सं0-870/नौ-5-2013-121बजट/2010, दिनांक 27.02.2013, शासनादेश सं0-2784/नौ-5-2013-121बजट/2010, दिनांक 07.06.2013,एवं शासनादेश सं0-1040/नौ-5-2014-121बजट/ 2010, दिनांक 16.09.2014 में निर्धारित शर्तो/प्रतिबन्धों का अनुपालन किया जायेगा ।

(2) कार्य पूर्ण होने पर कार्य के सम्परीक्षित लेखे शासन को अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा ।

(3) प्रश्नगत कार्य हेतु पाँचवीं किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि का पी0एल0ए0 से सुसंगम नियामों/प्रविधानों के अनुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का व्यवर्तन किसी भी दशा मे नही किया जायेगा।

(4) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत प्रावधानों/समय-समय पर निर्गत शासनदेशो के अनुरूप किया जायेगा।

(5) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा मे उसी कार्य/मद में किया जाय। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जाय।

(6) निष्प्रयोज्य होने वाले उपकरणों/सामग्री से प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा करना सुनिश्चत किया जाय ।

(7) परियोजना को पूर्ण कराते हुए परियोजना तत्काल सम्बन्धित नागर निकाय को हस्तान्तरित किया जाय।

(8) इस शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा विशिष्ट शर्तो का अनुपालन विभागों उपक्रमों में तैनात वित्त नियंत्रक/ मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवास हायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चिम करेंगे । यदि निर्धारित शर्ते का किसी प्रकार का विचलन हो, तो सम्बन्धित वित्त नियित्रंक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा उनके द्वारा मामलों की सूचना पूर्ण विवरण सहित वित्त विभाग को दे दी जाय।

3- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-2016 के आय- व्ययक के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत आयोनागत लेखाशीर्षक "2215-जल पूर्ति तथा सफाई-02 जल-मल तथा सफाई-192- नगर पालिकाओं/नगर पालिका परिषदों को सहायता-04-30प्र0 व्यापार विकस निधि से व्यय-0401-नगरीय निकायों के सीवरेज कार्यो हेतु-35- पूँजीगत परिसम्पतियों के सृजन हेतु अनुदान "के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे है।

भवदीय

(उमाशंकर सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या-169/2015-5776/नौ-5-15-121बजट/2010

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशरः-

1- महालेखाकार, (वर्क्स लेखा अनुभाग), 30प्र0 इलाहाबाद।
2- जिलाधिकारी, लखनऊ/फैजाबाद ।
3- कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, लखनऊ।
4- निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
5- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, 30प्र0 लखनऊ ।
6- वित्त (ई-8) अनुभाग/ नियोजन अनुभाग- 3/4
7- वरिष्ठ लेखाधिकारी/मुख्य सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो।
8- मुख्य अभियंता (फैजाबाद क्षे0), 30प्र0 जल निगम, फैजाबाद ।
9- परियोजना प्रबन्धक, नागर कार्य इकाई, 30प्र0 जल निगम, फैजाबाद।
10- अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, अयोध्या, फैजाबाद ।
11- सुपर यूजर, नगर विकास विभाग, 30प्र0 शासन।
12- गार्ड फाइल/ कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,

(उमाशंकर सिंह)
संयुक्त सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2015-2016

आवंटन दिनांक-01/06/2015

प्रेषण संख्या:- 169-2015

आवंटन आदेश संख्या:- 001-169-2015-5776-9-5-15-121Ba-10

अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2015-2016 का आवंटन)

लेखाशीर्षक:- 2215 - जल पूर्ति तथा सफाई(आयोजनागत-मतदेय)

02 - मल-जल तथा सफाई

192 - नगर पालिकाओं / नगर पालिका परिषद्ों को सहायता

04 - उत्तर प्रदेश व्यापार विकास निधि से व्यय

01 - नगरीय निकायों को सीवरेज कार्यों हेतु

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	योग
1	लखनऊ कलेक्ट्रेट -6015-- , --01--	वर्तमान	9085000	9085000
		प्रगामी	32143000	32143000
	योग	वर्तमान	9085000	9085000
		प्रगामी	32143000	32143000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया नब्बे लाख पंचासी हजार

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया तीन करोड़ इक्कीस लाख तियालीस हजार

(उमा शंकर सिंह)

संयुक्त सचिव